भारत INDIA COURT FEE बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।

निगरानी 1191-PBR-15

प्रकरण क्रं.– /15

सुरेश मेनन आत्मज श्री पी.एस. मेनन

आयु वयस्क, निवासी–एच–119, शास्त्री नगर,

जवाहर चौक, भोपाल। .... आवेदक

दिनांक 25-5-15 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत।
25-5-15
SO

विरूद्ध

श्रीमान अनुबिभागीय अधिकारी, संदीप ... SDM BHOPAL

श्राजधानी परियोजना प्रशासन,

टी0टी नगर वृत, जवाहर चौक भोपाल .... अनावेदक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 1191–पीबीआर/15 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–6–2015	आवेदक की ओर से श्री अश्विनी परमार, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । यह न्यायालयीन अवमानना का प्रकरण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31–1–2012 को पारित आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी, राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर जवाहर चौक भोपाल द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण प्रस्तुत किया गया है । इस न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा आदेश में किसी प्रकार के कोई निर्देश नहीं दिये जाकर अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त की गई है । आवेदक के अभिभाषक तर्क के दौरान यह नहीं बतला सके कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किस प्रकार से इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए अवमानना की जा रही है । अतः यह प्रकरण प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । अध्यक्ष	